आकाशवाणी केन्द्र शिमला
04.09.2024 / प्रादेशिक समाचार / 1945 बजे

## मुख्य समाचार

- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ऐलान– प्रदेश के कर्मचारियों को 5 सितंबर को वेतन जबकि पैंशनरों को 10 सितंबर को मिलेगी पैंशन।
- हिमाचल विधानसभा का ऐतिहासिक फैसला– दलबदल करने वाले अयोग्य घोषित विधायकों की पेंशन खत्म।
- प्रदेश विधानसभा में एसओपी तय होने के बाद शुरू होगा जीरो आवर।
- राज्य सरकार पंचायतों में महिला मंडलों को पौधरोपण और उसका सर्वाइवल रेट बढ़ाने की देगी जिम्मेदारी।

## मुख्यमंत्री वक्तव्य

प्रदेश में कर्मचारियों को इस माह वेतन 5 सितंबर को, जबकि पेंशनरों को पेंशन 10 सितंबर को मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में चल रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान एक विशेष वकत्वय के माध्यम से यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में यह व्यवस्था परिवर्तन वित्तीय अनुशासन लाने के लिए किया गया है और इससे सरकार को हर माह तीन करोड़ रुपए जबकि साल में 36 करोड़ रुपए की बचत होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में वित्तीय अनुशासन लाने व वित्तीय स्थिति में सुधार और राज्य को 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने व 2032 तक समृद्ध राज्य बनाने के लिए भविष्य में भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वेतन का यह भुगतान बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों और पेंशनरों पर लागू नहीं होगा क्योंकि वे अपने संसाधनों से इस खर्च को पूरा करते हैं। हालांकि, सरकार कर्मचारियों द्वारा लिए गए ऋणों की ईएमआई का समय पर भुगतान करने की दलीलों पर विचार करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार वेतन पर मासिक एक हजार दो सौ करोड़ रुपये और पेंशन पर 8 सौ करोड़ रुपये खर्च करती है। उन्होंने कहा कि वेतन व पेंशन के भुगतान में देरी का कारण यह है कि सरकार वेतन व पेंशन के भुगतान के लिए हर माह लिए जाने वाले ऋण पर ब्याज की राशि बचाना चाहती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को हर माह की पहली तारीख को वेतन व पेंशन का भुगतान करना होता है, जबकि 5 सौ 20 करोड़ रुपये राजस्व घाटा अनुदान हर माह की छः तारीख को केंद्र से प्राप्त होता है। इसी तरह 10 तारीख को 6 सौ 40 करोड़ रुपये केंद्रीय करों से प्राप्त होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्य सरकार दिसंबर 2024 तक केवल 2 हजार 3 सौ 17 करोड़ रुपये का ऋण ही ले सकती है। ऐसे में सरकार को काफी संभलकर वित्तीय अनुशासन बनाना होगा। उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर 2022 को जब कांग्रेस की सरकार बनी, तो वित्तीय संकट था। उन्होंने कहा कि ऐसे क्या कारण थे कि 2021 में रेवेन्यू सरप्लस होने के बावजूद भाजपा सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये का डीए और बकाया क्यों टाल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने बिजली बोर्ड की 2 हजार 2 सौ करोड़ रुपये की देनदारी छोड़ी है। यही नहीं, चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने मुफ्त पानी और एक सौ 25 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा के साथ–साथ 6 सौ संस्थान भी बिना बजट के खोल डाले। इससे पहले, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के तहत कर्मचारियों और पेंशनरों को वेतन व पेंशन न मिलने का मामला उठाते हुए कहा कि ये एक बहुत गंभीर मामला है, जिस पर सदन को चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हर दिन अपना रुख बदलते रहते हैं, इसलिए प्रदेश सरकार को राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर सारी बात स्पष्ट करनी चाहिए।

## विधेयक पारित

प्रदेश विधानसभा ने आज एक और ऐतिहासिक फैसला करते हुए अपने उन पूर्व विधायकों की पेंशन खत्म कर दी, जिन्होंने इसी साल प्रदेश सरकार से बगावत की थी और बाद में भाजपा का दामन थाम लिया था। इनमें से दो विधायकों चैतन्य शर्मा और देवेंद्र भुट्टों की पैंशन पूरी तरह बंद हो गई है जबकि चार अन्य विधायकों सुधीर शर्मा, इंद्रदत लखनपाल, राजेंद्र राणा और रवि ठाकुर को उनके पिछली विधानसभा के कार्यकाल की पैंशन मिलती रहेगी। यह फैसला दल बदल निरोधक कानून के तहत लिया गया और इस संबंध में प्रदेश विधानसभा ने सदस्यों के भत्ते और पेंशन अधिनियम संशोधन विधेयक विपक्ष के विरोध के बीच

ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक के पारित होने के बाद अब इसे राज्यपाल की मंजूरी को भेजा जाएगा और मंजूरी मिलने के बाद ही यह कानून बन जाएगा।

## जीरो आवर

प्रदेश विधानसभा में जीरो आवर आरंभ करने के मुद्दे पर आज सदन में खूब तकरार हुई। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने जहां जीरो आवर तुरंत शुरू करने की पैरवी की, वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यह कहते हुए जीरो आवर तुरंत शुरू करने का विरोध किया कि सरकार अभी इसके लिए तैयार नहीं है और जीरो आवर आरंभ करने से पहले इस पर विचार विमर्श होना चाहिए और इसकी एसओपी तय होनी चाहिए। विधानसभा में प्रश्नकाल समाप्त होते ही संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जीरो आवर का मुद्दा उठाया और कहा कि यह अच्छी परंपरा है, लेकिन इसमें सरकार को विश्वास में नहीं लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि जीरो आवर ऐसा समय है, जिसमें जनहित से संबंधित मुद्दे सदन में उठेंगे और ये जरूरी व अति महत्वपूर्ण होंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि एसओपी वही है जो संसद की है। उन्होंने कहा कि देश में सबसे पहले ई प्रणाली हिमाचल में शुरू हुई है और हमें जीरो आवर में भी आगे बढ़ना चाहिए। फिर भी, अगर सदस्य चाहते हैं तो वे एसओपी बनाकर इसे लागू कर सकते हैं।

## प्रश्नकाल

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पंचायतों में पौधरोपण करने और उसके सर्वाइवल रेट बढ़ाने के लिए सरकार महिला मंडलों का सहयोग लेगी और इस काम के लिए उन्हें पैसे भी दिए जाएंगे। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक रणधीर शर्मा के सवाल के जवाब में ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पौधरोपण के बाद पौधों का सर्वाइवल रेट 50 से 60 प्रतिशत है। इसे बढ़ाने के लिए सरकार पौधरोपण कार्य में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनों में पौधरोपण में 60 प्रतिशत फलदार पौधों को लगाया जाएगा और पौधों का सर्वाइवल रेट बढ़ाने के लिए सरकार वन मित्रों की भर्ती करने जा रही है। विधायक सुरेंद्र शौरी के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 31 जुलाई 2024 तक गौ तस्करी के 9 मामले दर्ज हुए है। इन मामलों में दोषियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। विधायक सुधीर शर्मा और केवल सिंह पठानिया के संयुक्त सवाल के जबाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण करते समय लोगों को पर्याप्त मुआवजा मिले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गग्गल हवाई अड्डे का विस्तार करना सबसे आसान था, इसलिए सरकार इस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि मंडी के बल्ह में भी हवाई अड्डा स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि मंडी हवाई अड्डे के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा एक हजार करोड़ रुपये के आवंटन को केंद्र द्वारा कहीं भी प्रतिबिंबित नहीं किया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ बल्ह हवाई अड्डे का मुद्दा उठाया, लेकिन पिछली भाजपा सरकार ने 4 हजार करोड़ रुपये की इस परियोजना के लिए एएआई को केवल एक करोड़ रुपये की इक्विटी प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 सौ करोड़ रुपये की लागत वाले अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर परियोजना के लिए अभी तक एडीबी के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि धर्मशाला को पर्यटन राजधानी घोषित करने की घोषणा कांगड़ा जिले के लोगों को लुभाने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला के लिए हेली टैक्सी सेवा बंद कर दी गई है और हवाई रोपवे स्थापित करने में कोई प्रगति नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उड़ान योजना के तहत बनाए गए हेलीपोर्ट चेक इन और चेक आउट सुविधाएं बनने के बाद ही शुरू किए जा सकते हैं। मूल प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कांगड़ा को टूरिस्ट कैपिटल बनाने की दिशा में काम कर रही है जिसकी अगले बजट में झलक दिखेगी।

विधायक भुवनेश्वर गौड़ के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि चंडीगढ–मनाली–लेह मार्ग के आसपास कोई भी हार्ट स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मौजूद नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कुल्लू से मनाली के बीच 24 घंटे की सुविधा जिला अस्पताल कुल्लू, नागरिक अस्पताल मनाली और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतलीकूहल में उपलब्ध है जोकि यातायात को देखते हुए पर्याप्त है। प्रदेश में सौ उद्यमियों ने अपनी लीज ट्रांसफर करने के लिए आवेदन किया है और सौ उद्यमी ऐसे हैं, जिन्होंने अपना बिजली का कनेक्शन काटने के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा कई उद्यमियों ने

अपना जीएसटी नंबर सरेंडर कर दिया है और इसकी जानकारी आबकारी व कराधान विभाग से मांगी गई है। उद्योग मंत्री हर्षवधन चौहान ने विधायक जनक राज और जीत राम कटवाल के संयुक्त सवाल के जवाब में ये बात कही। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश में पहली जनवरी 2023 से 30 जून 2024 तक 5 हजार 2 सौ 93 नए उद्योग आरंभ हुए हैं। उद्योग मंत्री ने कहा कि सिंगल विंडों क्लीयरेंस कमेटी के तहत 4 सौ 2 उद्यमियों को काम शुरू करने की मंजूरी दी गई है।

## ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में अवैध रूप से बनी मस्जिद पर कानून के तहत कार्रवाई होगी। यह बात लोकनिर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज विधानसभा में विधायक हरीश जनारथा और बलवीर वर्मा द्वारा नियम 62 के तहत लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में कही। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मस्जिद में अवैध निर्माण का मामला नगर निगम शिमला आयुक्त की अदालत में वर्ष 2010 से विचाराधीन है और इस पर जैसे ही फैसला आएगा, वैसे ही फैसले के अनुसार कार्रवाई होगी। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के विधायकों से इस मामले को तूल न देने का आग्रह किया, ताकि सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे।